



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य जनपद कानपुर देहात

दिनांक- 02.05.2025

- ❖ अपराध नियंत्रण की दिशा में कानपुर देहात पुलिस को मिली एक और सफलता।
- ❖ थाना रनियाँ पुलिस द्वारा कोतवाली अकबरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 171/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक रेन्ज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारंटी गिरफ्तारी के लिये एवं अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना रनियाँ पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 171/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना अकबरपुर कानपुर देहात जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक रनियाँ कानपुर देहात द्वारा संपादित की जा रही थी, में वांछित चल रहे अभियुक्त प्रतीक चक पुत्र राजेश कुमार चक निवासी वार्ड नं0 02 पटेल नगर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात को आज दिनांक 02.05.2025 को समय करीब 10.15 बजे थाना अकबरपुर क्षेत्र में नवीपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. प्रतीक चक पुत्र राजेश कुमार चक निवासी वार्ड नं0 02 पटेल नगर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त प्रतीक चक का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 171/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना अकबरपुर कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 0073/2024 धारा 395/412 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना रनियाँ पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री मुकेश कुमार सोलंकी।
2. हे0का0 10 संजय सिंह।